बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (सुपौल) 02–41/2024– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

श्रीमती बुच्ची कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल के विरूद्ध न्यायालय में अपील वाद सं0–2/2017 लंबित रहने के बावजूद मौजा–गौरवगढ़, खाता सं0–675, खेसरा सं0–1263, रकवा–1.53 डी0 भूमि का दाखिल–खारिज वाद सं0–4202/2023–24 को दिनांक–13.07.2024 द्वारा स्वीकृति प्रदान करने, FIFO का उल्लंघन करने जैसे आरोपों के संदर्भ में विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–175(15) दिनांक–20.02.2026 से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी द्वारा दिनांक–09.03.2026 से अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण अस्वीकार योग्य पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती कुमारी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, सुपौल** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल सदर** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्रीमती कुमारी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, सुपौल/अपर समाहर्त्ता, सुपौल/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल सदर/श्रीमती बुच्ची कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल **सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (सुपौल) 02–41/2024–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, सुपौल/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल सदर, सुपौल/ श्रीमती बुच्ची कुमारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

D:\2026_Jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Bucchi kumari_CO_Supaul sadar.doc

ज्ञापांक–15 / आरोप (सुपौल) 02–41 / 2024–.......................(15) / रा0, पटना–15, दिनांक–.......................

स्पीड–पोस्ट

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, सुपौल को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में 06 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0 / –
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांक–15 / आरोप (सुपौल) 02–41 / 2024–820 (15) / रा0, पटना–15, दिनांक–16.06.26

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति**) / आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

D:\2026_jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Bucchi kumari_CO_Supaul sadar.doc